संख्या-92/2923/का-3-2014-13/7/2006

प्रेषक,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमख सचिव/ सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 18 दिसम्बर, 2014**

विषय- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को समूह 'ग' के सीधी भर्ती के रिक्त पदों के अधियाचन प्रेषित किया जाना।

महोदय,

अधिसूचना संख्या-1529/79-वि.-1-14-1(क)10/2014, दिनांक 4.12.2014 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 (अधिनियम संख्या-20 सन् 2014) की धारा-5 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या-2656/47-का-3-2014-13/94/99, दिनांक 20.11.2014 के क्रम में, अधिसूचना संख्या-2812/47-का-3-14-13/7/2006, दिनांक 15.12.2014 के द्वारा वेतन बैण्ड-1 (रूपये 5200-20200) ग्रेड पे रू0-1900/- एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैण्ड-2 (रूपये 9300-34800) ग्रेड पे रू0-4600/- से कम के समस्त पद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट कर दिए गये हैं।

2- उपर्युक्त के संबंध में, अधियाचन के प्रारूप की प्रति संलग्न करते हुए, आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि प्रस्तर-1 में संदर्भित वेतनमानों/ ग्रेड पे के रिक्त पदों के समस्त अधियाचन विलम्बतम दिनांक 05.01.2015 तक सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तृतीय तल, पिकप भवन, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रेषित किए जाने वाले अधियाचनों के साथ संबंधित पद की सेवा नियमावली (हिन्दी/ अंग्रेजी) उपलब्ध कराते हुए, लम्बवत/ क्षैतिज आरक्षण की समग्र स्थिति आदि भी स्पष्ट करने का कष्ट करें। यह भी अनुरोध है कि अधियाचन प्रेषित किए जाने के संबंध में यदि किसी बिन्दु विशेष पर परामर्श की आवश्यकता हो, तो अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के उत्तर प्रदेश सचिवालय के नवीन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वैब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भवन स्थित कैम्प कार्यालय से दिनांक 26.12.2014 तक किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क स्थापित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-अधियाचन की प्रारूप।

भवदीय

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-92/2923(1)/47-का-3-2014-13/7/2006, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।

आज्ञा से

(पी0बी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन,पंचम तल,गोमती नगर,लखनऊ।

सीधी भर्ती के अधियाचन का प्रारूप

1– अधिचायन का प्रकार–सामान्य चयन अथवा विशेष चयन

2– (क) पद का नाम.....

(ख)(1) क्या यह पद नया सृजित किया गया है.....(हां या नहीं)

(2) क्या यह पद पदोन्नति/सेवानिवृत्ति/अन्य प्रकार से रिक्त हुआ है..... .....(हां या नहीं)

3– वेतनबैण्ड/वेतनमान/ग्रेड पे.....

4– सेवा संवर्ग.....

5– नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम.....

6– क्या अधियाचित पद आयोग के अधिकार क्षेत्र में है.....(हां या नहीं)

7– क्या पद नियमित नियुक्ति का है ?.....

8– क्या पद की सेवा नियमावली बनी है.....(हां/नहीं)

यदि हां, तो उसकी हिन्दी और अंग्रेजी प्रति संशोधनों सहित संलग्न की जाय।

9– चयन का आधार, सेवा नियमावली के अनुसार–

(1) केवल साक्षात्कार

(2) केवल लिखित परीक्षा

(3) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (जो लागू न हो, काट दिया जाय)

10– अधियाचित पदों का आरक्षण व श्रेणीवार विवरण–

(क) लम्बवत् आरक्षण का विवरण–

(1) अनारक्षित पदों की संख्या.....

(2) अनुसूचित जाति के पदों की संख्या.....

(3) अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या.....

(4) अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों की संख्या.....

(ख) क्षैतिज आरक्षण का विवरण–

(1) शासनादेश संख्या–18/1/95–का–2/95..... दिनांक 20.9.97 एवं अद्यतन संशोधनों के प्राविधानानुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों हेतु आरक्षित पदों की संख्या–– (शासनादेशानुसार रिक्तियों का 02 प्रतिशत)

(2)(क) समाज के विकलांग व्यक्ति हेतु आरक्षित पदों की संख्या..... (शासनादेशानुसार रिक्तियों का 03 प्रतिशत)

(ख) शासनादेश संख्या–35/65–03–11–78/99 दिनांक 13 जनवरी, 2011 के प्राविधानानुसार विकलांगजन हेतु आरक्षित पद विकलांगता–

(1) दृष्टिहीन या कम दृष्टि (2) श्रवण ह्रास से ग्रसित

(2) चलन किया संबंधी अशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात से ग्रसित

किस–किस श्रेणी हेतु आरक्षित है, तद्नुसार उनके उप श्रेणी के चिन्हांकन का अवश्य उल्लेख कर दिया जाय।

(3) शासनादेश संख्या–18/1/95–का–2/99–टी.सी.–2 दिनांक 09.09.1992 के प्राविधानानुसार सैन्य नियोजित/ भूतपूर्व सैनिक

हेतु आरक्षित पदों की संख्या (समूह 'ग' के पदों हेतु रिक्तियों का 05 प्रतिशत के अनुसार)
(4) शासनादेश संख्या–18(1)/95–का–2/99,दिनांक 26.02. 1999 के आलोक में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत के अनुसार आरक्षित पदों की संख्या–

11– संवर्ग में सृजित व रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण –

क्र.सं.	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	कुल सृजित पद	भरे पद	रिक्त पद	अधियाचित पदों की संख्या
1	अनारक्षित					
2	अनुसूचित जाति	21प्रतिशत				
3	अनुसूचित जनजाति	02प्रतिशत				
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	27प्रतिशत				

12– क्या पद स्थायी/अस्थायी है ?
13– शैक्षिक अर्हतायें–
(अ) अनिवार्य(जिसमें शिक्षा संबंधी अनुभव ——
आदि जैसा नियमावली में निर्धारित हो)
(ब) अधिमानी अर्हतायें,यदि कोई हों .....
14– आयु सीमा जैसा सेवा नियमावली/अद्यतन आयु सीमा निर्धारण नियमावली में विहित हो.....
(क) न्यूनतम
(ख) उच्चतम
15– क्या आयु की उच्च या निम्न सीमा को शिथिल किया जा सकता है ?(हां/नहीं) यदि हां,तो किसके लिए और कितनी सीमा तक——
16– अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता————
17– क्या पद पेंशनयुक्त है ?(हां/नहीं)——
18– परिवीक्षा की अवधि,यदि कोई हो————
19– कर्तव्य————
20– चुने हुए अभ्यर्थी को चयन के बाद कब तक कार्यभार ग्रहण करना होगा।
21– क्या सरकारी कर्मचारी पात्र है ?
यदि हां तो उनके पक्ष में क्या किसी शर्त को शिथिल किया जायेगा। उन शर्तों को बतायें,जो उनके सम्बन्ध में शिथिल की जायेगी।
22– पद जिसके लिये अधियाचन प्रेषित किया जा रहा है,के संबंध भारत के किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन तो नहीं है?
23– कोई अन्य शर्त अथवा अर्हताएं,जो उपर्युक्त बिन्दुओं के अन्तर्गत नहीं आती .....

अधियाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम–
विभाग–